

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक:-एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/

जयपुर दिनांक

59876

06/10/2019


शासन सचिव
सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग
जयपुर, राजस्थान

विषय :- विभाग द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जारी किये गये दिशा निर्देश दिनांक 09.09.15की अनुपालना में उपखण्ड अधिकारी के डिजिटली हस्ताक्षर एवं अन्य प्रक्रिया की व्यवस्था करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायलय के सिविल अपील पिटिशन स0 5854/1994 कु0 माधुरी पाटील बनाम महाराष्ट्र सरकार प्रकरण में अपने निर्णय दिनांक 28.04.97 की अनुपालना में अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति एवं विशेष पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 54159 दिनांक 09.09.15 द्वारा नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।(प्रति सलग्न)
उक्त दिशा निर्देशों में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये नायब तहसीलदार/तहसीलदार के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी को सक्षम अधिकारी बनाया गया है। वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र ई-मित्रों के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया एवं नायब तहसीलदार/तहसीलदार के डिजिटली हस्ताक्षर युक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की हुयी है। अतः नवीन दिशा निर्देशों के अनुसरण में जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया एवं नायब तहसीलदार /तहसीलदार के डिजिटली हस्ताक्षर के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी के डिजिटली हस्ताक्षर से जाति प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था करवाने का श्रम करावें।
सलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय


of (सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव